संख्या-96/2024/569जे०/22-5-24-300(61)/2017

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 23अगस्त, 2024**

विषय- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध विचाराधीन बंदी नानक पुत्र श्री रोहताश के उपचार हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 1,30,000/- (रू0 एक लाख तीस हजार मात्र) की स्वीकृति को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-21476/सामा-1(3)/83/बं0चि0धना0-नानक/2024, दिनांक 16-07-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध रहे विचाराधीन बंदी नानक पुत्र श्री रोहताश को मा0 सक्षम न्यायालय के आदेशानुपालन में दिनांक 16-03-2024 को कारागार से रिहा होने के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत् शासनादेश दिनांक 10-05-2024 द्वारा उपचार हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 1,30,000/- (रू0 एक लाख तीस हजार मात्र) को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध मे शासन स्तर पर विचारोपरान्त प्रश्नगत बंदी के उपचार हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-42/2024/258जे0/22-5-24-300(61)/2017, दिनांक 10-05-2024 निरस्त किये जाने एवं प्रश्नगत बंदी की रिहाई की सूचना जिला कारगार, मथुरा से प्राप्त होने के उपरान्त उक्त सूचना शासन को 03 माह विलम्ब से उपलब्ध कराये जाने हेतु कारागार मुख्यालय स्तरपर उत्तरदायी कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:96/2024/569जे0(1)/22-5-24, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
3- मुख्य कोषाधिकारी, मथुरा।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
5- वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।